राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1577/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स नोवा ट्रेडिंग प्रा0 लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.09.2014	खण्डपीठ श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, सदस्य अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक 31.07.2014 जो अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 (2ए) के तहत् निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिये पारित किया गया है में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान क्रमशः ₹ 3,75,25,507/– पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा व विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद बहस हेतु दिनांक 11.09.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिये किसी प्रकार के कारणों का अंकन नहीं किया गया है। अग्रिम अनिवार्य किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 के तहत् उद्योग स्थापना में प्रयुक्त "प्लान्ट एण्ड मशीनरी" में रूपये 5 करोड़ से कम निवेश किया गया है। अतः इकाई रियायती कर दर हेतु पात्र है, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने "प्लान्ट एण्ड मशीनरी" में निवेश 5 करोड़ से अधिक होना अवधारित कर, 1.75 प्रतिशत की दर से अन्तर कर का परिवर्जन मानते हुए कर व ब्याज अधिरोपित किया है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विशिष्ट रूप से जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि रू. 4.54 करोड़ के प्लांट एवम् मशीनरी के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किये गये निवेश को स्वीकार किया गया है एवम् किये गये कुल व्यय में से 8,02,93,158/– के निवेश को बिल्डिंग एवम् अन्य मदों में निवेश को स्वीकार कर, जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है । कथन किया कि कि अपीलार्थी व्यवहारी Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 के तहत् उद्योग स्थापना में लगातार.....2	

प्रयुक्त "प्लान्ट एण्ड मशीनरी" में रूपये 5 करोड़ से कम निवेश किया गया है । अतः केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत् जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के तहत् 0.25 प्रतिशत की दर से कर दायित्वधीन है जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, 2 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है जिसमें किसी प्रकार के कर को परिवर्तन या संशोधित करने की अधिकारिता निर्धारण अधिकारी को प्राप्त नहीं है । अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज् बनाम् राजस्थान राज्य (1995) 99 एस.टी.सी. 584 व मैसर्स अरिहंत सोल्वेक्स लि., बनाम् कमिश्नर (2005) 11 टैक्स अपडेट 297 को प्रोद्धरित कर, जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में निर्धारण अधिकारी को संशोधन करने की अधिकारिता नहीं होने का कथन किया गया। इसी क्रम में माननीय कर बोर्ड, अजमेर की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में ही पारित निर्णय दिनांक 10.09.2013 अपील संख्या 1699/2013/जयपुर को प्रोद्धरित कर, प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए कर व ब्याज की भी वसूली पर रोक लगाने हेतु बल दिया तथा अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 के तहत् उद्योग स्थापना में प्रयुक्त "प्लान्ट एण्ड मशीनरी" में रूपये 5 करोड़ की तयशुदा सीना से अधिक का निवेश किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 का लाभ लेने का पात्र नहीं है । कथन किया कि ईकाई को प्लांट एवम् मशीनरी में रूपये पांच करोड़ से अधिक के निवेश संबंधी जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के लिये पात्र नहीं होते हुये भी जारी अधिसूचना का लाभ लिया जाकर अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम (घोषणा प्ररूप "सी" से समर्थित) में 0.25 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय विक्रय कर संग्रहित किया गया है । कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के अनुसार Small Enterprises की पात्रता का अधिकार नहीं रखने के कारण उसके द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में किये गये विक्रय 2,38,27,62,412/– पर 1.75 प्रतिशत की दर से कर, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत् शास्ति आरोपित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है । विशिष्ट रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा ब्याज व शास्ति के बिन्दु के अधिकतम स्तर पर राहत प्रदान कर दी गयी है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रत्यर्थी के पक्ष में होना बताते हुए अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत भिन्न तथ्यात्मक एवम् विधिक बिन्दु अर्न्तवलित होने के कारण हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रोद्धरित प्रकरणों में राज्य/जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में संशोधन की अधिकारिता केवल संबंधित जिला/राज्य स्तरीय छानबीन समिति को ही राजस्थान विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1987 के क्लॉज 9(सी) के तहत् अधिकारिता माननीय न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी है। जबकि हस्तगत प्रकरण में उक्त बिन्दु विवादित नहीं है । अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जरिये अधिकृत प्रतिनिधि के पूर्व में

लगातार.....3

घोषित इलैक्ट्रिक इन्सटालेशन, ऑयल स्टोरेज टैंक, सीड स्टोरेज टैंक जो कमशः इन्वॉयस कमांक 101, 102, 103 व 104/2009 के जरिये दिनांक 31.03.2009 को मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज से कन्जयूमेबल्स गुड्स एण्ड स्टोर्स क्रय करना अवगत करवाया गया है, उक्त क्रय की गयी वस्तुयें ही विवादित हैं। अपीलार्थी ईकाई ने उपर्युक्त वर्णित इन्वॉसेज के जरिये क्रय की गयी वस्तुओं को प्लांट एवम् मशीनरी के निवेश में सम्मिलित नहीं किया जाना माना है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज के क्रय बिलों के साथ संलग्न इलैक्ट्रिक इन्सटालेशन, ऑयल स्टोरेज टैंक, सीड स्टोरेज टैंक पार्ट्स/कन्ज्यूमेबल्स की सूचि होना अवगत कराया गया जो Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 के अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 05.10.2006 के तहत् प्लांट एवम् मशीनरी में सम्मिलित नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक व निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्लांट एवम् मशीनरी में निवेशित राशि रूपये 5 करोड़ से अधिक पायी गयी है । मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज द्वारा विभाग को प्रस्तुत वैट–09 तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट–07 की विगत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त इन्वॉयसेज के जरिये क्रय किया गया कोल्हू प्लांट एवम् मशीनरी है जिसको पश्चात्वर्ती अवधि में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने भी निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.05.2013 में इस तथ्य को स्वीकार कर पुष्टि की है। उपर्युक्त क्रय इन्वॉयसेज के अवलोकन एवम् विद्वान अभिभाषक द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति तथा क्रेता एवम् विक्रेता द्वारा जारी वैट–07 एवम् वैट–08 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त क्रीत माल प्लांट एवम् मशीनरी होना प्रथम्–दृष्ट्या प्रतीत होता है एवम् अधिसूचना दिनांक 05.10.2006 के तहत् excluded होने वाली वस्तुओं की श्रेणी के तहत् निर्दिष्ट होने के प्रश्न पर विवादित है। अतः विवादित प्लांट एवम् मशीनरी में किये गये उक्त विवादित निवेश को जोड़ने के पश्चात् उक्त निवेश कुल रूपये 6.88 करोड़ हो जाता है जो Small Enterprises के लिये निर्धारित तय सीमा के निवेश से बाहर हो जाता है जैसा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2014 में वर्णित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के प्रकरण में ही (अपील संख्या 1699/2013/जयपुर) में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.09.2013 के संबंध में समस्त तथ्यात्मक जांच रेकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी जैसा कि इस पीठ के समक्ष अपील संख्या 2020/2013 एवं 2021/2013 की सुनवाई के समय प्रकरणों में उपलब्ध करवायी गयी थी । उक्त स्थिति में उक्त निर्णय का लाभ अपीलार्थी को उक्त प्रकरणों में नहीं दिया गया था। अतः हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी को लाभ नही दिया जा सकता है । फलस्वरूप, उक्त विवेचन व उपलब्ध जांच रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में, हस्तगत प्रकरण में अन्तर्वलित बिन्दुओं के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं होना प्रतीत होता है। लिहाजा, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं

लगातार.....4

कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 2 माह में उक्त प्रस्तुत अपील एवम् रागान विवादित बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अन्य अपीलों का स्वतंत्र रूप से गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष